



पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway

FA&CAO's Office,
CORE Building, 2nd Floor
Jabalpur- M.P. 482001
Phone- 015-54405 (Rly)

199

पत्र सं- लेखा/मुख्या/जबल/बु/जी.एस.टी

दिनांक 07.06.17

Sr.DFMs-JBP,BPL,KOTA,
WAO-BPL, Sr.AFA(W)-Kota

विषय: भारतीय रेलों पर GST को लागू करने हेतु ।

अपर महाप्रबंधक द्वारा आपको GST लागू करने हेतु अपनी इकाई स्तर पर नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है । मण्डल स्तर पर ADRM के नेतृत्व में जीएसटी लागू करने की प्रक्रिया सुनिश्चित किया जाना है । अतः आपसे अनुरोध है कि अपने इकाई के शाखा अधिकारियों के साथ समन्वय कर जीएसटी प्रक्रिया लागू करने के लिए रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें । रेलवे बोर्ड द्वारा जारी कि गया सभी निर्देश रेलवे बोर्ड के वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसे डाउनलोड कर इस पर कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

अपने इकाई स्तर पर सभी शाखा अधिकारियों को अपने विभाग के कनिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारियों को इस प्रक्रिया को लागू किये हेतु जाने, नामित किया जाना सुनिश्चित करें । मुख्यालय स्तर पर विसएवंमुलेअधिकारी कार्यालय में जीएसटी अनुभाग बनाया गया है जो जिसमें इकाई स्तर पर नामित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सहयोग प्रदान करेंगे । मुख्यालय स्तर के जीएसटी अनुभाग के अधिकारी कर्मचारी का विवरण निम्नानुसार है

1. श्री मधुसुदनन, वरिष्ठ सहायक वित्त सलाहकार (मुख्यालय) 54425, 9752415110
2. श्री मलय झा, वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (जीएसटी) -9752415195
3. श्री अमित ओझा, वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (जीएसटी)-9752478222
4. श्री मनीष कुमार सिंह, वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (जीएसटी)-9993869649

आपसे अनुरोध है कि अपने इकाई स्तर पर जीएसटी अधिकारियों से सम्पर्क कर कार्यशाला आयोजित करने का प्रयास करें । जीएसटी लागू करने हेतु की जा रही कार्य की मुख्यालय को सूचना प्रेषित करें ।

8/6/17

(नवल किशोर श्रीवास्तव)
वि.स.एवं मु.ले.अधिकारी(वित्त एवं बजट)

प्रतिलिपि: अपर महा प्रबंधक महोदय को कृपया सूचनार्थ ।

PS
8-6-17

W.C.R.